

N B II

संपत्ति पंजीकरण आसान, एनओसी और एलएसआर की जरूरत नहीं

भारतीय पंजीकरण अधिनियम-1908 के तहत निर्धारित शर्तों पर ही दस्तावेज होंगे पंजीकृत

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली सरकार ने संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिकतर मामलों में संपत्ति पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और भूमि स्थिति रपट (एलएसआर) की जरूरत नहीं होगी। यह निर्णय सरकार ने लोगों की 'जीवनखपत में आसानी' (ईज आफ लिविंग) और 'व्यापार करने में आसानी' (ईज आफ डू बिजनेस) की योजना को अमल में लाने हुए किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आमतौर पर देखा गया कि आम जन को पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम-डीएम कार्यालय में राखत या जमीन से जुड़े मामलों में अतृप्तियां का सामना करना पड़ता है और यहां आवश्यक नहीं है, वहां भी उन्हें एनओसी पाने के लिए कतारों में लाना पड़ता है। अब भूमि पंजीकरण के लिए अनपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और भूमि स्थिति रपट (एलएसआर) की आवश्यकता नहीं होगी। इन मामलों को दूर करते हुए यह निर्णय लिया गया है। गुप्ता ने बताया कि अब केवल सीमित मामलों में ही

खेल व युवा मामलों का विशेष विभाग बनाएगी सरकार : रेखा
दिल्ली की ओलिंपिक संघ, विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए एक अलग विभाग बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी राजधानी में क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र (कॉमिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई भी खिलाड़ी संस्थानों की कमी के कारण पीछे न रहे जाए। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली का हर बच्चा आलम्पियन, राशतर और आत्मविश्वासी बने।

एनओसी/एलएसआर की आवश्यकता रहेगी, जहां केवल उन मामलों में जहां दिल्ली लैंड्स (स्थानांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 8 या ईस्ट पंजाब होमिंग्स (संचयन और खंडन को रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 30 लागू होती है। अन्य सभी मामलों में राखत विभाग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जब तक कार्ड में स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं हो, तब तक पंजीकरण के लिए एनओसी या एलएसआर अनिवार्य नहीं होगा। उप-पंजीकरण केवल

कानूनी आधार पर दस्तावेजों का पंजीकरण करेगी और भारतीय पंजीकरण अधिनियम-1908 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आवश्यक पंजीकरण करेगी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पारदर्शिता व युष्का को प्रभावितता दी गई है। जैसे 'जहां जानबूझकर नहीं' (बयार वीजेअर) नियम लागू किया जाएगा, जिससे खरीदार भूमि की स्थिति और स्थानांतरण की जांच स्वयं सुनिश्चित करेंगे, भूमि की स्थिति से संबंधित जानकारी सरकारी पोर्टल पर निश्चित रूप से अद्यतन (अपडेट) की जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस : दस हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीएस सिंह ने विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और पुलिस उपआयुक्त को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

एक विशेष पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रयागराज रोड में मोदी राइड को संबोधित करेंगे, तो लाल किले पर कड़े सुरक्षा बंदी होगी। अधिकारी ने बताया कि प्रत्यक्ष तैनाती के अलावा, सीबीडीओ, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक के जरिए आयोजित स्थल और आसपास के इलाकों की निगरानी की जाएगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जमीनी स्तर पर, विशेषकर सवेदनशील क्षेत्रों में, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रात्रि गश्त और पैरल गश्त में वृद्धि और सार्वजनिक स्थानों में निगरानी दल तैनात किए जा रहे हैं।

करिअर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सीबीएसई ने की पहल

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जैश्रणीक सत्र 2025-26 के लिए 'करिअर गाइडेंस डैशबोर्ड' और 'कार्डसिलिंग ड्राइव एवं स्पोक स्कूल माडल' नामक दो पहल की हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक-सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है।

अधिकारियों ने बताया कि ये पहल करिअर संबंधी मार्गदर्शन के लिए संस्थानों तर्फी को सुदृढ़ करेगी और छात्रों के समग्र मानसिक-सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगी। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि दोनों पहल विद्यार्थियों और छात्रों को लाभांशित करने के लिए की गई हैं और हमने हितधारकों की सक्रिय प्रतिक्रिया के जरिए सुधार किया जाता रहेगा। ये पहल छात्रों को उनके करिअर विकल्पों को समझने और सही दिशा चुनने में मदद करने के लिए हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह पर इनका विश्वास है कि छात्रों को उनके करिअर विकल्पों को समझने और सही दिशा चुनने में मदद करेगा है।

केंद्र से मिली अनुमति, 31 अगस्त तक मिलेगा राशन

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गुरुवार की अंतिम जारी कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अगस्त का राशन वितरण करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन वितरण करने के लिए 31 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया था लेकिन उदात्त में देरी व अन्य तकनीकी कारणों के चलते राशन वितरण समय से नहीं हो पाया और दिल्ली में भी तीन लाइन बसें अधिक लाभाधी राशन लेने से वंचित रह गए थे।

दवायें कि, इस समस्या को लेकर जनसता में चार अगस्त 2025 को प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई थी, 'अगस्त माह का राशन कार्ड, लाक्षा लाभाधी परेशान'। इस खबर के बाद अब अगस्त माह के राशन वितरण की अंतिम की बढ़ा दिया गया है। विभाग के सचिव निरुद्ध सार्वजनिक वितरण जन पाटिल ने गुरुवार को सभी राज्यों के खाद्य, नगरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों विभाग के प्रधान सचिव व सचिव को आदेश जारी किया था। इस आदेश में 31 अगस्त 2025 तक आर्यवट अंतिम बढ़ाई गई है जोकि पहिले 31 जुलाई 2025 थी। इस आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जून व जुलाई 2025 का माह के राशन का वितरण अगस्त में नहीं किया जा सकेगा।

दिल्ली के करीब लाख से अधिक कार्डधारी नहीं ले पाए थे राशन।

खेल व युवा मामलों का विशेष विभाग बनाएगी सरकार : रेखा
दिल्ली की ओलिंपिक संघ, विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए एक अलग विभाग बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी राजधानी में क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र (कॉमिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई भी खिलाड़ी संस्थानों की कमी के कारण पीछे न रहे जाए। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली का हर बच्चा आलम्पियन, राशतर और आत्मविश्वासी बने।

एनओसी/एलएसआर की आवश्यकता रहेगी, जहां केवल उन मामलों में जहां दिल्ली लैंड्स (स्थानांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 8 या ईस्ट पंजाब होमिंग्स (संचयन और खंडन को रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 30 लागू होती है। अन्य सभी मामलों में राखत विभाग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जब तक कार्ड में स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं हो, तब तक पंजीकरण के लिए एनओसी या एलएसआर अनिवार्य नहीं होगा। उप-पंजीकरण केवल

कानूनी आधार पर दस्तावेजों का पंजीकरण करेगी और भारतीय पंजीकरण अधिनियम-1908 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आवश्यक पंजीकरण करेगी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पारदर्शिता व युष्का को प्रभावितता दी गई है। जैसे 'जहां जानबूझकर नहीं' (बयार वीजेअर) नियम लागू किया जाएगा, जिससे खरीदार भूमि की स्थिति और स्थानांतरण की जांच स्वयं सुनिश्चित करेंगे, भूमि की स्थिति से संबंधित जानकारी सरकारी पोर्टल पर निश्चित रूप से अद्यतन (अपडेट) की जाएगी।

यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, चेतावनी स्तर पार सरकार का दावा : आइटीओ बैराज के सभी गेट खुले, 2023 जैसे नहीं होंगे हालात

जनसता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर गया। पुराने रेवेव पुल पर जलस्तर 204.99 मीटर रेकार्ड किया गया। इसके महंजर संचालित बाइंड बाइंडे हावात से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है।

दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिव सिंह ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का स्थानीय निवासिण किया। मंत्री 12 तरह राइलेटर तक गए और नदी किनारे के संचालनशील इलाकों का जावका किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ वितरण चर्चा की और अब तक की निगरानी के समीक्षा भी की। प्रवेश साहिव ने बताया कि यमुना के जलस्तर के चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंचने की वजह हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भीषण और सामान्य स्थिति है और चरमाल की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में यमुना का



यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार करने के बाद गुरुवार को बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित इलाकों में उतरने वाली लोगों ने

जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ता है। विभाग पूरी तरह सतर्क है और सिक 5 है। इस बात सतर्क बाढ़ी बात यह है कि आइटीओ बैराज के सभी गेट खुले हुए हैं। वर्षा 2023 की तरह इस बार कोई गेट बंद नहीं है, जिससे जलवायव में कोई रुकावट नहीं आ रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वितरण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है और संबंधित एजेंसियाधिकारी नियमनी बनाए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने योजना तैयार है। प्रवेश साहिव ने यह भी अपील की कि

यह केवल सरकारी छोटों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। अधिकारियों की माने तो इस मौसम में पहली बार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूबिक से अधिक पानी छोड़ा गया और यह सुबह करीब छह बजे 61,000 क्यूबिक के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 50,000 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी की क्षमता पहुंचने में आमतौर पर 48 से 72 घंटे लगते हैं।

चर्च में: 5

60011, मुक्तिमंडी रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास, एलएसएम 226007

(कैप्टिविटी-एलएसएम प्रोडक्ट के साथ)

प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए कृपया

ऑफिस: 756/2024

मुक्तिमंडी रोड और इंदौर

... अधिक

चर्च में: 5

60011, मुक्तिमंडी रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास, एलएसएम 226007

(कैप्टिविटी-एलएसएम प्रोडक्ट के साथ)

प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए कृपया

ऑफिस: 756/2024

मुक्तिमंडी रोड और इंदौर

... अधिक

चर्च में: 5

60011, मुक्तिमंडी रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास, एलएसएम 226007

(कैप्टिविटी-एलएसएम प्रोडक्ट के साथ)

प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए कृपया

ऑफिस: 756/2024

मुक्तिमंडी रोड और इंदौर

... अधिक

एक प्रमुख होम फाइनेंस कंपनी के पास

New Delhi में "As is where is, what is there is" आधार पर प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

प्रॉपर्टी के लिए उपलब्ध है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

1911 में आरंभ किया "केन्द्रित" "CENTRAL" (1911 से 1991)

हमारे संस्थापक

सर सोराबजी पोचरवालाला की 144^{वीं} जयंती के सुअवसर पर,

हम अपने सभी हितधारकों के सतत सहयोग एवं विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हमारी विशिष्ट सुविधाएं

1 नए बचत एवं चालू खाते

• सेन्ट क्वीन - महिलाओं के लिए विशेष रूप से सृजित

• सेन्ट सेलरी - एक खाते में अत्यधिक सुविधाएं

• सेन्ट व्यापार - स्वयं को डिजिटलीस करी की ओर अग्रसर करें

2 वेल्थ मैनेजमेंट

• एक वलिक में पाएं हमारे सरल और त्वरित वेल्थ मैनेजमेंट उत्पाद

• जीवन बीमा, सामान्य बीमा, म्यूचुअल फंड, डीमैट, एसआईपी

3 महिला सशक्तिकरण

• सेन्ट गृह लक्ष्मी

• सेन्ट क्वीन

• सेन्ट ईवी टू-व्हीलर

• स्टैंड-अप इंडिया योजना

• देशभर में 90 महिला सम्पत्ति शाखाएं

आकर्षक एवं सहज रिटेल तथा एमएसएमई ग्राहक

www.centralbankofindia.co.in | हमें फॉलो करें Centralbankofindia | हमें सैलेज करें 7900123123